

# राजस्थान सरकार

## स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर

राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) व (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा चयन आयोग  
जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी-स्कीम जयपुर 302013

क्रमांक एफ 10(छ) (24) भ.आ./ ठो.क.प्र./ डी.एल.बी/16/pt 286

दिनांक 26/07/18

### विज्ञप्ति

राज्य स्तरीय नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी व अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञप्ति संख्या 01 दिनांक 30.12.2015 के अन्तर्गत क्रम संख्या-05 पर अंकित ठोस कचरा प्रबन्धक (सफाई निरीक्षक) के सीधी भर्ती से चयन करने हेतु 78 पद (72 पद नॉन टीएसपी क्षेत्र एवं 6 पद टीएसपी क्षेत्र) विज्ञापित किये गये थे, जिसमें शैक्षणिक योग्यता "भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित योग्यता" रखी गई थी।

राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम, 1963 के अनुसूची में ठोस कचरा प्रबन्धक (सफाई निरीक्षक) सम्मिलित नहीं हैं जबकि नियमों की अनुसूची के शीर्षक 'ख' स्वास्थ्य के अन्तर्गत इस पद का नाम सफाई निरीक्षक ग्रेड-द्वितीय एवं शैक्षणिक योग्यता "मैट्रिक या उसके समकक्ष (प्रशिक्षित)" निर्धारित हैं।

ठोस कचरा प्रबन्धक (सफाई निरीक्षक) के पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी श्री कैलाश चन्द मीणा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस बी सिविल रिट पीटीशन संख्या 16517/2016 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2017 एवं अन्य याचिकाओं में आदेश पारित कर आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 01 में निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं को अपास्त कर दिया एवं राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम, 1963 में रही शैक्षणिक योग्यताओं को ही पद हेतु मान्य किया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.10.2017 की पालना में सफाई निरीक्षक ग्रेड-11 के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु चयनित 78 अभ्यर्थियों की सूची एवं वर्गवार कट-ऑफ परासेंटाईल दिनांक 26.04.2018 को विभागीय वेबसाइट [www.lsg.urban.rajasthan.gov.in](http://www.lsg.urban.rajasthan.gov.in) & [www.cmar.india.org](http://www.cmar.india.org) पर अपलोड की गयी। चयनित 78 के दस्तावेजों का सत्यापन दिनांक 21.05.2018 से 23.05.2018 तक किये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों में से 77 अभ्यर्थियों के पास Diploma in Sanitary Inspector की योग्यता नहीं होने के कारण चयनित सफाई निरीक्षक ग्रेड-11 पद हेतु पात्र नहीं पाये गये।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना संबंधी प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु आयोग द्वारा दिनांक 30.12.2015 को जारी विज्ञप्ति संख्या 01 के अन्तर्गत क्रम संख्या 05 पर अंकित ठोस कचरा प्रबंधक (सफाई निरीक्षक) पद हेतु आवेदन करने वाले एवं पद के लिये आयोजित ऑन-लाईन परीक्षा में सम्मिलित हुए सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों के पास राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा) नियम 1963 के अन्तर्गत सफाई निरीक्षक ग्रेड-11 पद के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता "मैट्रिक या उसके समकक्ष (प्रशिक्षित)" है, वे सभी अभ्यर्थी अपना नाम, पद हेतु आवेदन क्रमांक, ऑन-लाईन परीक्षा का रोल नम्बर सहित अपनी शैक्षणिक योग्यता मय डिप्लोमा (Sanitary Inspector) एवं विज्ञप्ति में अंकित समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज मय स्वप्रमाणित प्रति आयोग कार्यालय कक्ष संख्या 4 (Basement) स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर में दिनांक 16.08.2018 तक सांय 6:00 बजे तक कार्यालय समय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत करे।

डाक द्वारा एवं निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(अलका मीणा)

सचिव, सेवा चयन आयोग